कार्यालय नगर परिषद, सीकर

श्री कल्याण नगर परिषद, भवन, राणी सत्ती रोड़, Pin 332001, Email:- sikarulb.jaipur@gmail.com

S. No. :- F.(11)/90A /2024-25/ Date: ....

–:प्रमाण पत्र:–

सीकर शहर के नगरीय क्षेत्र के तहसील सीकर के राजस्व ग्राम सीकर के खसरा संख्या 430 रकबा 1.5300 हैक्टेयर, अर्थात 15300 वर्गमीटर भूमि का राजस्थान नगरीय क्षेत्र (कृषि भूमि का गैर–कृषिक प्रयोजन के लिए उपयोग की अनुज्ञा और आवंटन) नियम 2012 के अन्तर्गत प्राप्त आवेदन का निस्तारण किया जा चूका है। जिसके अन्तर्गत राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 90–क की कार्यवाही एवं ले–आउट प्लान का अनुमोदन सक्षम स्तर से किया जा चूका है। कार्यालय द्वारा जारी अधिवास प्रमाण पत्र कमांक 10316 दिनांक 12.09.2023 अनुसार आवेदित योजना में आन्तरिक विकास की एवज में 12.5 प्रतिशत भूखण्ड, भूखण्ड संख्या 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, एवं 72 नगर परिषद के पक्ष में Pludg(रहन) रखे गए हैं। तकनीकी अधिकारी की मौका रिर्पोट अनुसार योजना में आन्तरिक विकास कार्य करवा लिये गये है। अतः उक्त योजना में आन्तरिक विकास के एवज में नगर परिषद के पक्ष में Pludg(रहन) रखे गये 12.5 प्रतिशत भूखण्ड, भूखण्ड संख्या 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, एवं 72 को रहनमुक्त किये जाने की स्वीकृति निम्नांकित शर्तो के अध्याधीन प्रदान की जाती है:–

1. विकासकर्ता को सम्पूर्ण कार्य होने के उपरान्त 3 वर्ष तक Maintenance किया जाना आवश्यक होगा। (Maintenance charges may be recovered by developer from the allotees).
2. बोरिंग/ट्यूबवेल/पाईपलाईन को नियमानुसार पी.एच.ई.डी. को हस्तान्तरण किया जाना होगा। (Handover).
3. योजना में विद्युतिकरण का कार्य State Electricaty Agency or National Building Code के प्रावधानानुसार ए.वि.वि.एन.एल. को हस्तान्तरण किया जाना होगा।

Sd/-

प्राधिकृत अधिकारी एवं
आयुक्त
नगर परिषद, सीकर

S. No. :- F.(11)/90A /2024-25/165-68 Date: 03/04/24

प्रतिलिपिः– सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

1. संबंधित जोन निरीक्षक, नगर परिषद, सीकर।
2. संबंधित सहायक/कनिष्ठ अभियंता, नगर परिषद, सीकर।
3. कृषि भूमि नियमन शाखा, नगर परिषद, सीकर।
4. विकासकर्ता/आवेदक मैसर्स भगवती डवलपर्स वृन्दावन मार्केट, फतेहपुर गेट गणेश मन्दिर के पास, सीकर जरिये भागिदार श्री अरूण कुमार शर्मा, संगीता शर्मा, श्री यश जलधारी, श्रमती मंजू सुरेन्द्र कुमार शर्मा निवासी, सीकर को सूचनार्थ।

प्राधिकृत अधिकारी एवं
आयुक्त
नगर परिषद, सीकर

कार्यालय नगर परिषद, सीकर

श्री कल्याण नगर परिषद, भवन, राणी सत्ती रोड, Pin 332001, Email:- sikarulb.jaipur@gmail.com

S. No. :- F.(11)/90A /2024-25/69 Date: 02/04/25

–:प्रमाण पत्र:–

सीकर शहर के नगरीय क्षेत्र के तहसील सीकर के राजस्व ग्राम सीकर के खसरा संख्या 430 रकबा 1.5300 है0 अर्थात 15300 वर्गमीटर किस्म गै0मु0 आबादी भूमि का राजस्थान नगरीय क्षेत्र (कृषि भूमि का गैर–कृषिक प्रयोजन के लिए उपयोग की अनुज्ञा और आवंटन) नियम 2012 के अन्तर्गत प्राप्त आवेदन का राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 90–क की कार्यवाही कर ले–आउट प्लान का सक्षम स्तर से अनुमोदन क्रमांक 10315 दिनांक 12.09.2023 द्वारा किया गया।

अनुमोदित ले–आउट प्लान अनुसार योजना भूखण्ड संख्या 9, 10, 14, 15, 16, MT, 8, 19, 32, 33, 34, 35, 36, 37 को रहन रखा जाकर योजना मानचित्र में जहां से लाईन गुजर रही है, एवं जहा लाईन शिफ्ट होनी है उन भूखण्डों को अन्डर ग्राउण्ड होने के पश्चात ए.एई.एन. AVVNL कार्यालय एवं नगर परिषद के तकनिकी अधिकारियों से मौका रिपोर्ट ली जाकर रहन मुक्त करना प्रावधित किया गया।

विकासकर्ता/आवेदक मैसर्स भगवती डवलपर्स, वृन्दावन मार्केट, फतेहपुर गेट, गणेश मन्दिर के पास, सीकर जरिये भागीदार श्री अरूण कुमार शर्मा 2.श्रीमती संगीता शर्मा 3.श्री यश जलधारी 4.श्रीमती मंजू सुरेन्द्र कुमार शर्मा निवासीगण सीकर द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर योजना मानचित्र में गुर्जर रही विद्युत लाईन को भूमिगत करवाया जाना अवगत कराते हुए इस आशय का प्रमाण पत्र चाहा है। प्राप्त आवेदन के सम्बन्ध में कार्यालय के तकनिकी एवं विद्युत शाखा अभियंताओं से मौका रिपोर्ट प्राप्त की गयी एवं जिनके अनुसार विद्युत लाईन अंडर ग्राउण्ड कर दी गई है।

सहायक अभियंता (O&M-II) Ajmer Vidyut Vitran Nigam Limited के पत्रांक अ.वि.वि.नि. लि/स.अ./न.उ.द्वि./सीकर/उपभोक्ता शाखा/प्रे 5221 दिनांक 27.02.2024 अनुसार "नेहरू पार्क सीकर के पीछे स्थित मारुती आवासीय योजना के भूखण्ड संख्या 9, 10, 14, 15, 16, MT, 8, 19, 32, 33, 34, 35, 36, 37 के उपर से गुजर रही 33 के.वी. लाईन को भूमिगत कर दिया गया है।

अतः उक्त आधार पर प्रमाणित किया जाता है कि मारुती आवासीय योजना के भूखण्ड संख्या 9, 10, 14, 15, 16, MT, 8, 19, 32, 33, 34, 35, 36, 37 के उपर से गुजर रही 33 के.वी. लाईन को भूमिगत कर दिया गया है।

अतः यह प्रमाण पत्र दिनांक 02/04/25 को मेरे हस्ताक्षर से जारी किया गया।

प्राधिकृत अधिकारी एवं
आयुक्त
नगर परिषद,सीकर

S. No. :- F.(11)/90A /2024-25/
Date: ....

प्रतिलिपि:– सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

1. संबंधित जोन निरीक्षक, नगर परिषद, सीकर।
2. संबंधित सहायक/कनिष्ठ अभियंता, नगर परिषद, सीकर।
3. कृषि भूमि नियमन शाखा, नगर परिषद, सीकर।
4. विकासकर्ता/आवेदक मैसर्स भगवती डवलपर्स, वृन्दावन मार्केट, फतेहपुर गेट, गणेश मन्दिर के पास, सीकर जरिये भागीदार श्री अरूण कुमार शर्मा 2. श्रीमती संगीता शर्मा 3. श्री यश जलधारी 4. श्रीमती मंजू सुरेन्द्र कुमार शर्मा निवासीगण सीकर को सूचनार्थ।

प्राधिकृत अधिकारी एवं
आयुक्त
नगर परिषद,सीकर